**प्रेस नोट                    दिनांक 28.08.2026**

**थाना घोसी पुलिस द्वारा महिला से छिनैती करने वाला 01 नफर अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ मे घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 6100 रु0 एवं घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेण्डर प्लस बाईक बरामद-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दिनांक 18.08.2026 को राकेश राजभर पुत्र जगन्नाथ राजभर निवासी ग्राम कोडरा थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र 40 वर्ष द्वारा अपने साथी रामकरन राजभर पुत्र बालचन्द्र निवासी ग्राम कोडरा थाना घोसी जनपद मऊ के साथ मिलकर थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत नदवासराय अण्डर पास से महिला के साथ छिनैती करने के संबंध में मु0अ0स0 352/2026 धारा-304(2),352,351(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 28.08.2026 को मुखबीर की सूचना पर थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर अभियुक्त राकेश राजभर पुत्र जगन्नाथ राजभर को पकडने का प्रयास किया गया जिसपर राकेश राजभर उपरोक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करते हुए फायर किया गया,पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी कार्यवाही किया गया जिसमें राकेश राजभर के बाये पैर में गोली लगी है जिसको ईलाज हेतु सीएचसी घोसी लाया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

*बरामदगी-*

01अदद अवैध तमन्चा -315 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस -315 बोर,

01 अदद खोखा कारतूस – 315 बोर

6100/- रूपया व घटना मे प्रयुक्त मोटर साइकिल – हीरों स्प्लेन्डर प्लस बरामद

*अभियुक्त राकेश राजभर पुत्र जगन्नाथ राजभर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -*

1. मु0अ0सं0 -239/2019 धारा 379, 411 भा0द0वि0 थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 285/2018 धारा 41, 411, 412, 413, 419, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 थाना घोसी जनपद मऊ।
3. मु0अ0सं0- 294/2018 धारा 379 भा0द0वि0 थाना घोसी जनपद मऊ।
4. मु0अ0सं0 -386/2018 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप नि0 अ0 थाना घोसी जनपद मऊ।
5. मु0अ0सं0 39/2024 धारा 379, 411, 413 भा0द0वि0 थाना घोसी जनपद मऊ।

6. मु0अ0सं0 80/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ।

7. मु0अ0सं0 452/2024 धारा 127(2), 309(4), 317(2) बी.एन.एस. थाना घोसी जनपद मऊ।

8. मु0अ0सं0 470/2024 धारा 109 बी.एन.एस. व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ।

9. मु0अ0सं0 505/2022 धारा 411, 412, 413, 419, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 थाना कोपागंज जनपद मऊ।

10. मु0अ0सं0 356/2023 धारा 379, 411 भा0द0वि0 थाना कोपागंज जनपद मऊ।

11. मु0अ0सं0 173/2025 धारा 115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस. थाना कोपागंज जनपद मऊ।

12. मु0अ0सं0 148/2018 धारा 379, 411, 413, 419, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर मऊ।

13. मु0अ0सं0 210/2018 धारा 379, 411, 419, 420 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर मऊ जनपद मऊ।

14. मु0अ0सं0 246/2018 धारा 379, 41, 411, 412, 413, 419, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर मऊ।

15. मु0अ0सं0 268/2018 धारा 379, 41, 411, 412, 413, 419, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर मऊ।

16. मु0अ0सं0 336/2018 धारा 379, 411, 413, 49, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर मऊ।

17. मु0अ0सं0 228/2023 धारा 379, 411, 413, 420, 467, 468 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर मऊ।

**लूट के मामले में वांछित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 3140/- रूपया बरामद-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 28.08.2026 को भदसामानोपुर यात्री सेट के पास से मु0अ0सं0-352/26 धारा 304(2), 352, 351(2), 317(2) बीएनएस थाना घोसी जनपद मऊ से सम्बन्धित अभियुक्त रामकरन राजभर पुत्र बालचन्द्र राजभर निवासी ग्राम कोड़रा थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

**पूछताछ विवरण*-** अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं तथा मेरे साथी राकेश राजभर पुत्र जगनाथ राजभर निवासी ग्राम कोड़रा थाना कोपागंज जनपद मऊ के साथ मिलकर छिनैती करते है। कई दिनो से हम लोग नदला सराय अंडर पास के पास हम लोग रेकी कर रहे थे जिसमें जो महिलाए सुबह अंधेरे में टहलने जाती थी, जिसमें दोनो महिलाए गले में ज्वेलरी पहनती थी। रेकी करने के बाद छिनैती का प्लान बनाया तथा प्लान के तहत दिनांक 18.08.2026 को भोर में मैं अपने साथी राकेश के साथ छिनैती किये थे।

***पंजीकृत अभियोग का विवरण***

1. मु0अ0सं0- 352/26 धारा 304(2), 352, 351(2), 317(2) बीएनएस थाना घोसी जनपद मऊ।

***गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता***

1. रामकरन राजभर पुत्र बालचन्द्र राजभर निवासी ग्राम कोड़रा थाना कोपागंज जनपद मऊ।

***आपराधिक इतिहास***

1.मु0अ0सं0- 79/2023 धारा 323, 352, 504, 506 भादवि0 थाना कोपागंज जनपद मऊ।

2.मु0अ0सं0- 39/2024 धारा 379, 411, 413 भादवि0 थाना घोसी जनपद मऊ।

***गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान***

1.दिनांक- 28.08.2026

2.स्थान- भदसामानोपुर यात्री सेट के पास

***बरामदगी विवरण***

1.लूट के 3140/- रूपया बरामद।

**पाक्सो एक्ट के मामले में वांछित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 28.08.2026 को माउरबोझ नहर के पास से मु0अ0सं0- 365/26 धारा 3/4 पाक्सो एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ से सम्बन्धित अभियुक्त सुबाष चौरसिया पुत्र गंगा चौरसिया निवासी ग्राम माउरबोझ बरईपुरा थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

***पंजीकृत अभियोग का विवरण***

1. मु0अ0सं0- 365/26 धारा- 3/4 पाक्सो एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ।

***गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता***

1. सुबाष चौरसिया पुत्र गंगा चौरसिया निवासी ग्राम माउरबोझ बरईपुरा थाना घोसी जनपद मऊ।

***गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान***

1.दिनांक- 28.08.2026

2.स्थान- माउरबोझ नहर के पास

## जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 28.08.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

***थानावार कार्यवाही का विवरण***

1.थाना रामपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त श्याम प्रजापति थाना रामपुर जनपद मऊ।
अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

***पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 28.08.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया***

इस अभियान के अंतर्गत 36 टीम गठित कर जनपद के 36 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1510 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 464 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान व 07 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।